



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : Plexh/Cir/105 28.04.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, जो ओशिनिया क्षेत्र में प्लास्टिक का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।

**इस समझौते के लाभ इस प्रकार हैं:**

- इस मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर के प्लास्टिक आयात बाजार के द्वार खुल जाते हैं, जहां भारत की हिस्सेदारी मुश्किल से 0.9% है।
- इससे पश्चिम एशिया जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों और उच्च शुल्क वाले गंतव्यों से दूर निर्यात में विविधता लाने का अवसर मिलता है।
- इस समझौते के लागू होने की तारीख से न्यूजीलैंड द्वारा भारतीय प्लास्टिक उत्पादों पर 10% तक शुल्क की समाप्ति।
- इस समझौते से भारत को चीन, आसियान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान की तुलना में मौजूदा टैरिफ संबंधी नुकसान से मुक्ति मिल जाएगी, जिन्हें न्यूजीलैंड में शुल्क मुक्त प्रवेश प्राप्त है।
- न्यूजीलैंड को निर्यात करने की सबसे अधिक क्षमता वाले उत्पाद हैं: चिकित्सा उपकरण, प्लेटें और चादरें, बोरे और थैले, पाइप और फिटिंग, उपभोक्ता और घरेलू उत्पाद, जिनमें टेबलवेयर और किचनवेयर शामिल हैं।
- समझौते में निर्यात-उन्मुख विनिर्माण के लिए न्यूजीलैंड से इनपुट आयात करने हेतु त्वरित प्रक्रिया का प्रावधान है।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

न्यूजीलैंड की टैरिफ प्रतिबद्धता:

<https://www.commerce.gov.in/ministryofcommerce/sites/default/files/2026-04/2A2%20-%20Schedule%20of%20Tariff%20Commitment%20of%20NZ.pdf>

उत्पाद-विशिष्ट उत्पत्ति नियम:

<https://www.commerce.gov.in/ministryofcommerce/sites/default/files/2026-04/3A%20-%20Product%20Specific%20Rules%20of%20Origin.pdf>

प्लेक्सकॉन्सिल घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखेगा और भारत सरकार से आधिकारिक सूचना प्राप्त होने पर समझौते के लागू होने के संबंध में सदस्यों को अद्यतन जानकारी देगा।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल